कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं, जिला सवाई माधोपुर

क्रमांकः /संस्था/रजि./ 3500 दिनांकः 3-11-2007

श्री अध्यक्ष/ मंत्री
लकवाड़ एज्युकेशनल सोसायटी
सवाई माधोपुर सवाईमाधोपुर

विषय – राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था की रजिस्ट्रीकरण के बारे में ।

आपको संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 69 / स०मा० / 2007-08 दिनांक 3-11-07 संलग्न है, जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवानें का कष्ट करें ।

यहाँ आपका ध्यान उक्त अधियिम की धारा प व 4 (क) की ओर आकर्षित किया जाना है कि जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रतिवर्ष आम सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनाएं भेजना जरूरी है ।

1. संस्था के मामलों का प्रवन्ध जिसको सौपा गया है, उस परिषद समिति या अन्य शासी निकाय के शासक, संचालकों, न्यातियों सांससदस्यों के नाम पते और व्यवसाय की सूचना मय पते ।

2. इस विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष की सूची में है । के दौरान प्रस्तावित परविर्तनों को दिखाया गया है ।

3. संस्था के नियमों और विनियमों की एक तारीख सही प्रतिलिपि जो शासी निकाय के शासकों संचालको, न्यासो या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में दिये गये प्रत्येक परिवर्तन का प्रतिलिपियो उपरोक्त रीति से ही प्रतिलिपि की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर तक कार्यालय को पहुंच जाना चाहिए ।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है कि जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाला व अपराध सिद्ध होने पर, अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो पांच सो रूपये तक का हो सकता है । तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात जारी रहती है । पचास रूपये से अधिक नही होगा । यदि कोई व्यक्ति धारा 4 (क) के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों को या उसमे किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि से जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता या करवाता है तो वह अपराध सिद्ध होने पर अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो दो हजार रूपये तक का हो सकता है ।

नोट : इस कार्यालय से भविष्य में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का रजिस्ट्रशन नम्बर व वर्ष अंकित करें।

संलग्न : मूल प्रमाण पत्र ।

संघ विधान पत्र पृष्ठ चार

विधान नियमावली पृष्ठ 3/6

रजिस्ट्रार संस्थाएँ
सवाई माधोपुर

रजिस्ट्रार संस्थायें
जिला सवाई माधोपुर, राज०